कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 346/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.09.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना बिलरियागंज: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.25 वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 25-08-2025 समय लगभग 08:30 बजे सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई तो विपक्षी अभिषेक राजभर पुत्र हरि राजभर ने कहा कि बिलरियागंज बाजार में मेरे जानने वाले अच्छे डक्टर है। इस बात का विश्वास करके वादिनी उनके साथ चली गई, रास्ते में ले जाकर दवा पिला दिया ये बोल कर कि कुछ आराम हो जायेगा लेकिन दवा खाने के बाद मेरी स्थिति और खराब हो गई, वो अभिषेक राजभर मुझे सुनसान जगह ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया, उक्त वीडियो भेजकर धमकी देकर उक्त वीडियो वायरल कर दिया, प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 310/2025 धारा 64/123/351(3)BNS व 67 it act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 25.09.2025 को उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र हरि राजभर साकिन जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को जयराजपुर पुलिया के पास समय करीब 12.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 310/2025 धारा 64/123/351(3)BNS व 67 it act थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1- अभियुक्त अभिषेक राजभर पुत्र हरि राजभर साकिन जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 अवधेश उपाध्याय थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. हे0का0 सुनील सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़

02. थाना पवईः दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 12.09.25 को वादिनी मुकदमा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19.05.2025 को समय करीब 12.00 बजे वादिनी की पुत्री अपनी चाची के साथ शौच के लिए गयी थी तभी विपक्षीगण 1.ज्ञानचन्द्र पुत्र इन्द्रजीत 2.रामचन्द्र पुत्र इन्द्रजीत निवासीगण नरपतपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को बाइक पर बिठाकर दुसरे स्थान पर ले जाकर दुषकर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 256/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया दौराने विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर धारा 87/61(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 25.09.25 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित से अभियुक्त ज्ञानचन्द्र प्रजापति पुत्र इन्द्रजीत प्रजापति ग्राम नरपतपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को कलान चौराहे से समय 10.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- ज्ञानचन्द्र प्रजापति पुत्र इन्द्रजीत प्रजापति ग्राम नरपतपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 256/25 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना पवई आजमगढ़

2.का0 राकेश कुमार गौड़ थाना पवई आजमगढ़

03.थाना दीदारगंजः गैर-इरादत्तन हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 19.09.2025 को वादी सुबास यादव पुत्र स्व0 विजय वहादुर यादव साकिन वेलहरी ईमामअली थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि वादी के भाई साहब लाल यादव दिनांक 15/9/25 को नन्दाव से शाहगंज को जाने वाली वस से अपने वीमार नाती को देखने गुप्ता हास्पीटल शाहगंज जाने तथा मामूली विवाद को लेकर समय. लगभग 10.30 वजे दिन में अशहद पुत्र सुहेल साकिन अषाढा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ व तीन अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा वादी के भाई साहबलाल को हाकी मंगवाकर बस से खीचकर भद्दी -2 गालिया देते हुए मारने से गर्दन टूट गयी तथा राम मनोहर लोहिया हास्पिटल में ईलाज के दौरान वादी के भाई की मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 262/25 धारा 105 बीएनएस बनाम 1.अशहद पुत्र सुहेल साकिन असाढा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 27 बर्ष व 03 अन्य अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 25.09.2025 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशहद पुत्र सुहेल साकिन असाढा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को सिकरौर बाजार चौराहे के पास से समय करीब 8.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-अशहद पुत्र सुहेल साकिन असाढा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	मु0अ0सं0 262/25	105 BNS	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 अवधेश कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 हरेन्द्र प्रसाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

04.थाना- जीयनपुरः दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 16.05.2025 को आवेदक सतेन्द्र कुमार पुत्र सबरजीत निवासी ग्राम बीबीपुर थाना महराजगंज उपस्थित थाना हाजा आकर प्रार्थना पत्र दिये की दिनांक 04-06-2018 को मेरी बहन बबिता की शादी अमर कुमार पुत्र रामफल निवासी ग्राम रामगढ़ तिवारी का पूरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के साथ हिन्दु रिति -रिवाज के साथ हुई थी मेरी बहन को उसके ससुराल वाले पति अमर कुमार पुत्र रामफल व देवर कमल कुमार पुत्र रामफल व सास इन्द्रावती पत्नी रामफल आये दिन दहेज को लेकर गाली गुप्ता मारना पाटना व मानसिक रुप से प्रताडित करते रहते थे जबकि दहेज के रूप में नगद 1,10,000 एक लाख दस हजार रुपया व हीरो स्पलेंडर गाडी व इलेक्ट्रानिक सामान व लडकी का सारा

जेवरात दिया गया था उसके बाद भी दहेज के रूप मे चैन व अंगुठी को लेकर प्रताडित करते रहते थे जिसके कारण दिनाक 15/05/2025 को मेरी बहन बबिता की रहस्यमय तरिके से मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 177/2025 धारा 115(2)/352/80/85BNS व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. अमर कुमार पुत्र रामफल 2.कमल कुमार पुत्र रामफल 3. इन्द्रावती पत्नी रामफल निवासी रामगढ़ तिवारी का पुरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 25.09.2025 को उ0नि0गोपाल मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कमलाकान्त पुत्र रामफल सा0 रामगढ़ थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष 2.अभियुक्ता इन्द्रावती देवी पत्नी रामफल सा0 रामगढ़ थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष को उनके घर ग्राम रामगढ़ तिवारी का पुरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से नियमानुसार समय 09.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.कमलाकान्त पुत्र रामफल सा0 रामगढ़ थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 177/2025 धारा 115(2)/352/80/85BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. कमलाकान्त पुत्र रामफल सा0 रामगढ़ थाना जीयनपुर, आजमगढ़

1. मु0अ0स0 177/2025 धारा 115(2)/352/80/85BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2.अभियुक्ता इन्द्रावती देवी पत्नी रामफल सा0 रामगढ़ थाना जीयनपुर, आजमगढ़

1.मु0अ0स0 177/2025 धारा 115(2)/352/80/85BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0गोपाल प्रसाद मौर्य थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0अवनीश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. म0का0 सुनीता कन्नौजिया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 25.09.2025, जनपद आजमगढ़

1. श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाईन सभागार में समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी, महिला हेल्प डेस्क, एण्टी रोमियो टीम के महिला अधिकारियों को मिशन शक्ति केन्द्र के मानक संचालन प्रक्रिया व मिशन शक्ति फेज-5.0 के दृष्टिगत जागरूकता के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया।

2. आवेदिका मनीता पुत्री बालेदीन निवासी लेदौरा (बलुवहवा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ मो0नं0 7393063479 द्वारा थाना अहरौला पर शिकायती प्रा0 पत्र इस आशय से दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा मोटर साइकिल की मांग करते हुए झगड़ा कर रहे है तथा मोटर साइकिल न मिलने पर विदाई के लिए तैयार नहीं है। दोनो पक्षों से बारी-बारी व एक साथ प्रकरण के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए काउन्सलिंग की गयी दोनों पक्ष विदाई हेतु तैयार हो गये। तदोपरान्त आवेदिका मनीता को उसके पति मनोज के साथ राजी-खुशी से ससुराल विदाई कराया गया।

4. मन्दिर/दुर्गा पूजा पण्डालों/पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया तथा फुट पेट्रोलिंग के दौरान रूक रूककर संवाद किया गया।

5. जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल/कॉलेजों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र, हेल्प लाइन नम्बर, सरकारी योजनाओं, महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे में व साइबर क्राइम के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थलों पर जनपद के समस्त एण्टी रोमियों टीम द्वारा सघन चेकिंग की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज–5.0 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2025 को शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के तहत शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ दिवस दिनांक- 25.09.2025 को जनपद आजमगढ़ में श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन व पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में चलाया गया।मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाईन सभागार में समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी, महिला हेल्प डेस्क, एण्टी रोमियो टीम के महिला अधिकारियों को मिशन शक्ति केन्द्र के मानक संचालन प्रक्रिया व मिशन शक्ति फेज-5.0 के दृष्टिगत जागरूकता के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया। आवेदिका मनीता पुत्री बालेदीन निवासी लेदौरा (बलुवहवा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ मो0नं0 7393063479 द्वारा थाना अहरौला पर शिकायती प्रा0 पत्र इस आशय से दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा मोटर साइकिल की मांग करते हुए झगड़ा कर रहे है तथा मोटर साइकिल न मिलने पर विदाई के लिए तैयार नहीं है। दोनो पक्षों से बारी-बारी व एक साथ प्रकरण के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए काउन्सलिंग की गयी दोनों पक्ष विदाई हेतु तैयार हो गये। तदोपरान्त आवेदिका मनीता को उसके पति मनोज के साथ राजी-खुशी से ससुराल विदाई कराया गया। मन्दिर/दुर्गा पूजा पण्डालों/पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाएं व हेल्प लाइन नम्बर का प्रचार-प्रसार किया गया तथा फुट पेट्रोलिंग के दौरान रूक रूककर संवाद किया गया। जनपद के प्रत्येक थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल/कॉलेजों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र, हेल्प लाइन नम्बर, सरकारी योजनाओं, महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे में व साइबर क्राइम के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थलों पर जनपद के समस्त एण्टी रोमियों टीम द्वारा सघन चेकिंग की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 25.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 5 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को **आजीवन कारावास व प्रत्येक को 67-67 हजार रुपये** के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

थाना कप्तानगंज: हत्या के 5 आरोपी अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास व 67-67 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

➞ दिनांक-26.06.2012 को वादी मुकदमा अजय उपाध्याय पुत्र केदार नाथ उपाध्याय निवासी मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 26.06.2012 को अभियुक्तगण **1. बृजेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय 2. अखिलेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय 3. रमेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय 4. जनार्दन पुत्र सूर्यनाथ उपाध्याय 5. विप्लव उर्फ विन्दे पुत्र राजेन्द्र उपाध्याय निवासीगण मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर असलहा लेकर मारना पीटना व कट्टे से फायर कर गम्भीर रुप से घायल कर देना जिससे देवीचरन का मृत्यु हो जाना ।**

➞ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-453A/2012 धारा- 147,148,149,323,304,302,504,506, 325,336,307,308,452 भादवि व 7 CLA Act पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है।

➞जिसके क्रम में दिनांक- 25.09.2025 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1. बृजेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय 2. अखिलेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय 3. रमेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय 4. जनार्दन पुत्र सूर्यनाथ उपाध्याय 5. विप्लव उर्फ विन्दे पुत्र राजेन्द्र उपाध्याय निवासीगण मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 67-67 हजार रुपये** के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 25.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप मे दोषी करार देते हुए प्रत्येक को **7-7 वर्ष सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये** के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

थाना कप्तानगंज: हत्या के प्रयास के आरोप मे दोषी करार देते हुए प्रत्येक को **7-7 वर्ष सश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये** के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

➞ दिनांक-26.06.2012 को वादी मुकदमा **बृजेश पुत्र प्रेमनाथ उपाध्याय** निवासी मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 26.06.2012 को अभियुक्तगण **1. अजय उपाध्याय पुत्र केदार नाथ उपाध्याय 2. पंकज उपाध्याय पुत्र ध्रुव नाथ उपाध्याय 3.नरेन्द्र उपाध्याय पुत्र देवीनाथ उपाध्याय निवासीगण मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर मारना पीटना व जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर गम्भीर रुप से घायल कर देना।**

➞ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-453/2012 धारा- 147,148,149,307 भादवि पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है।

➞जिसके क्रम में दिनांक- 25.09.2025 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1. अजय उपाध्याय पुत्र केदार नाथ उपाध्याय 2. पंकज उपाध्याय पुत्र ध्रुव नाथ उपाध्याय 3.नरेन्द्र उपाध्याय पुत्र देवीनाथ उपाध्याय निवासीगण मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को प्रत्येक को 7-7 वर्ष के साश्रम कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 25.09.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा **चोरी करने के आरोप मे 03 वर्ष 6 माह के कारवास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना सिधारी: चोरी करने के आरोप के 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष 6 माह के कारवास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 14.02.2022 को वादी मुकदमा सुशील कुमार श्रीवास्तव पुत्र पदुमदेव श्रीवास्तव निवासी जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 13.02.2022 को रात्रि मे अभियुक्त **आदिल उर्फ समीर पुत्र आसिफ उर्फ चुन्नू निवासी लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के दुकान का ताला तोड़कर सोना चादी का गहना व कीमती सामान की चोरी कर लेना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 84/2022 धारा- 457,380,411 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 25.09.2025 को मा0 न्यायालय CJM कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **आदिल उर्फ समीर पुत्र आसिफ उर्फ चुन्नू निवासी लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 25.09.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा **चोरी करने के आरोप मे 03 वर्ष 6 माह के कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना सिधारी: चोरी करने के आरोप के 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष 6 माह के कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 19.04.2022 को वादी मुकदमा जियालाल पुत्र बल्ली निवासी सरफूददीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 18.02.2022 को रात्रि मे अभियुक्त **आदिल उर्फ समीर पुत्र आसिफ उर्फ चुन्नू निवासी लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के घर मे चोरी की नीयत से घुसना व वादी के लड़के द्वारा रोकने पर असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 158/2022 धारा- 382,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 25.09.2025 को मा0 न्यायालय CJM कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **आदिल उर्फ समीर पुत्र आसिफ उर्फ चुन्नू निवासी लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 25.09.2025, जनपद आजमगढ़

29 सितम्बर को थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ में लावारिश 23 वाहनों की होगी निलामी

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2025 समय 12.00 बजे दिन में थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के प्रांगण में लावारिश वाहनों का निलामी की जायेगी जिसमें दो पहिया वाहनों की संख्या 21 व तीन पहिया वाहनों की संख्या 02 है।

निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये कुछ शर्ते इस प्रकार है।

1.निलामी में परिवहन विभाग से वाहनों के अनुमानित मूल्य से कम मूल्य पर बोली स्वीकार नही की जायेगी।

2. निलामी प्राप्त करने वाले वाहनों को परिवहन करने की अनुमति नही होगी।